पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय
महानिरीक्षक–सह–मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक–29.02.2016

क.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/16

सीआईओ/आईटी सेल/मुख्यालय
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय–माह जनवरी–2016 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

*****

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/– 05 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)

रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जनवरी –2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
ज्नवरी–16	31	31	20960	20960	31	–	–

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जनवरी –2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जनवरी–16	01	01	123500	123500	06	–	–

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जनवरी –2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जनवरी–16	37	37	144460	144460	37	–	–

रेल अधिनियम के तहत माह फरवरी–2016 में की गई कार्यवाही का विवरण :–

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	3315	1402412
138	10371	4881944
139	0	0
141	353	133080
142	0	0
143	4	0
144	941	434896
145	961	110800
146	11	5600
147	520	84600
153	5	1000
154	18	62900
155	943	88275
156	215	20000
157	79	13250
159	851	127450
160	17	3700
161	0	0
162	677	33950
163	0	0
164	2	0
165	0	0
166	0	0
167	15	1400
172	1	0
173	0	0
174	13	9900
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	**19,312**	**74,15,157**

रेसुब./पमरे.में माह जनवरी–2016 के दौरान किये गये अच्छे कार्यो का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0	मंडल	दिनॉक	कार्य का विवरण
1.	भोपाल मंडल	02.01.16	भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट में रे.सु.ब के द्वारा लावारिस पर्स को उसके मालिक को सोपने हेतु बावत्। दिनांक 01.01.2016 को उप निरीक्षक श्री विजय सिंह हमराह स्टाफ आरक्षक शैलेंद्र जैसवाल एवं आरक्षक राजेश सिंह को साथ लेकर समय 19:30 बजे से सायंकलीन गस्त पर थे। गस्त चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नं. 01 इटारसी स्टेशन के खण्डवा छोर पर स्थित शौचालय के महिला शौचालय में एक लेडीज पर्स पाया ।बाद उसे खोलकर देखने पर उसमें एक सफेद रंग का इनटेक्स कंपनी का मोबाईल जिस पर गुलाबी कलर का कवर चढ़ा था स्विच ऑफ था, 1000 रुपये/–व 500/– रुपये का एक–एक नोट कुछ दवाइयॉ पायी। बाद उस सामान को पोस्ट पर लाया गया और मोबाईल को चार्ज कर नं. 8109932793 पर संपर्क किया गया तो एक ज्योति नाम की महिला ने बताया कि यह नंबर उसकी सास श्रीमती शकुन्तला देश भरतार का है।, दिनांक 02.01.2016 को श्रीमती शकुन्तला देश भरतार पत्नी श्याम राव का पुत्र राजेश कुमार उक्त सामान लेने हेतु इटारसी पोस्ट पर आये और जॉच में उक्त सभी सामान उनसे संबंधित होना पाये जाने पर सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द किया और उनके द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को धन्यवाद दिया गया। भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट में रे.सु.ब के द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।
2.	कोटा मंडल	02.01.16	कोटा मण्डल/पोस्ट में रे.सु.ब के द्वारा प्रसव पीड़ा से पीडित महिला का अस्तपताल ले जाने के संबंध में–दिनांक 02.01.16 को रात्रि समय 00.20 बजे लगभग कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं 01 पर वीआईपी गेट के पास बने महिला आरपीएफ बूथ के पास एक महिला आई जो प्रसव पीडा से चिल्लाने लगी ,जिसे देखकर रेल सुरक्षा बल कोटा पोस्ट की महिला आरक्षक निधी रावत व आरक्षक गोखलेश शर्मा ने 108 एंबुलेंस को सूचना देकर बुलवाया तथा उक्त महिला को साथ मे लेकर जे0के0 लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कोटा ले जाते समय रास्ते मे महिला ने एक पुत्री को जन्म दिया तथा महिला ने पूछने पर अपना नाम राखी पत्नि श्री श्रवण निवासी डकनिया तालाव कोटा राज0 बताया तथा उक्त महिला व उसकी पुत्री को राजकीय जे0के0लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कोटा मे उपरोक्त रेल सुरक्षा स्टॉफ द्वारा सकुशल भर्ती करवाया गया है।

3.	कोटा मंडल	02.01.16	कोटा मण्डल/कारखाना में रे.सु.ब के द्वारा शराब की बोटल को जब्त करने हेतु बावत्–दिनांक 02.01.16 को गाडी सं. 12918 गुजरात सम्पर्क क्रान्ति की एस्कार्ट पार्टी में तैनात प्र.आर.गोपीचन्द, आर. अजितसिंह आर. शिवचरण एक्स मथुरा से कोटा (एस्कार्ट मुख्यालय कोटा कारखाना) ने गस्त के दौरान कोच बी–2 के कोच अटेन्डेंट–कान्तीबाई पुत्र श्री नारसिह उम्र 37 साल को 02 बेग में 395 छोटी बोटल एवं 02 बडी बोटल आफिसर्स च्वाइस ब्ल्यू बोटल शराब की कोच अटेन्डेंट के केबिन में अनाधिक्त रूप से रखकर ले जाते हुए को पकडा, जिससे पूछने पर अमदाबाद ले जाकर बेचना बताया।स्कार्ट पार्टी द्वारा कोटा पोस्ट/कोटा कारखाना रेसुब को सूचना दिये जाने के बाद रेसुब निरीक्षक कोटा पोस्ट प्रतापसिह, निरीक्षक देवेन्द्रकुमार कोटा कारखाना मय स्टाफ द्वारा अटेन्ड किया गया बाद उक्त कोच अटेन्डेन्ट को मय जप्त ुदा शराब को कोटा स्टे ान पर निरीक्षक कोटा पोस्ट को सुपुर्द किया जिसे आबकारी विभाग के सउनि. प्रमोद को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।
4.	कोटा मंडल	04.01.16	रेसुब पोस्ट भरतुपर(कोटा मंडल)–घर से भागें दो नाबालिक लडको को चाईल्ड हैल्पलाईन भरतपुर को सुपुर्द किये जाने बाबत्–दिनांक 04.01.2016 को सउनि यतेन्द्र सिंह/भरतपुर को स्टेशन गस्त के दौरान गाडी सं. 19024 में सामान्य कोच के एक यात्री द्वारा बताया गया कि दो बच्चे दिल्ली से भागे हुए है, बाद सउनि द्वारा उतारा गया जिन्होने पूछने पर एक ने नाम–मुहम्मद अफवान पुत्र मुहम्मद सिकन्दर उम्र–15 साल तथा दूसरे ने अपना नाम–जीशान पुत्र सिराजउद्वीन उम्र–15 साल बताया एवं बताया कि दोनों मस्जिद मदरसा दाहुल कुरान मलिक गार्डन लोनी खजुरी पुस्ता जिला–गाजियाबाद में पढते है मदरसा के कारी फरमान मस्जिद जिमेदार के द्वारा डांटने पर मदरसा से भागकर मुम्बई जाने के लिए गाडी में बैठ गये। बाद बच्चों द्वारा बताये अनुसार मोबाईल नम्बर–09911499986 पर उनके परिजन मो.सराजउद्वीन को सूचित किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वह दिनॉक 05.01.16 को आना बताया। बाद सउनि द्वारा चाईल्ड हैल्प लाईन भरतपुर को सूचना दी गई जिस पर चाईल्ड हैल्प लाईन भरतपुर से प्रेमराज व फतेह सिंह के रेसुब पोस्ट पर उपस्थित होने पर दोनों बच्चों को सुपुर्दगीनामा के तहत चाईल्ड हैल्पलाईन भरतपुर को सुपुर्द किया गया। सउनि यतेन्द्र सिंह द्वारा किया गया कार्य निश्चित ही सराहनीय है।
5.	कोटा मंडल	05.01. 2016	रेसुब/आउट पोस्ट–महिदपुर(कोटा मंडल)–दो नाबालिग बालिकाओं को रेसुब स्टाफ द्वारा उनके परिजनों को सुपुर्द किये जाने बाबत्–दिनांक 05.01.2016 को महिदपुर रोड़ स्टेशन पर सउनि श्री हीरालाल गुर्जर एवं आरक्षक गौरव पंवार को समय 16.40 बजे प्लेटफार्म नंबर–02 पर खडी गाड़ी संख्या 59831 में 02 बालिकाओं को अकेले बैठे देख शक के आधार पर पूछताछ करने पर उन्होंने प्राईवेट हॉस्टल पुष्पा बालिका भवन उज्जैन से भागना बताया अपना नाम–उज्वल पिता रामचंद्र उम्र 10 साल निवासी–नानाखेड़ी,जिला–उज्जैन मध्यप्रदेश तथा दूसरी बालिका ने अपना नाम–आरती आत्मज–रामा उम्र 09 साल, निवासी–उज्जैन मध्यप्रदेश बताया एवं दोनों ही ने कक्षा 05 में पढना बताया। उक्त बालिकाओं के संबंध में उनके परिजनों को उनके द्वारा

			बताये गये मोबोईल नंबर–8224068073 (बालिक–आरती की मॉ का नंबर) एवं 9575492627 (बालिका–उज्जवल के पित का नंबर) पर सूचित किया। बाद समय करीबन 19:30 बजे उनके परिजन रेसुब/आउट पोस्ट महिदपुर रोड़ उपस्थित होने के उपरांत समक्ष गवाहन सुपुर्दगीनाम पर उक्त दोनों बालिकाओं को उनके परिजनों को सुपुर्द किया।
6.	जबलपुर मंडल	05.01. 2016	जबलपुर मंडल(कटनी पोस्ट)–दिनांक–05.01.16 की मध्य रात्री को एक बालिका कटनी से अपने माता–पिता से बिछडकर घूमते हुये रेसुब पोस्ट नई कटनी जं0 में आ गई। उपनिरीक्षक श्री बी.के.यादव व आरक्षक एन.पी.गौतम एवं महिला आरक्षक गीता गायकबाड द्वारा बालिका का नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम–राजवती साकेत आत्मज कौशल साकेत उम्र–14 वर्ष बताई। बातचीत के दौरान उक्त बालिका की दिमागी स्थिती ठीक नहीं लग रही थी। उपनिरीक्षक द्वारा तत्परता एवं बुद्वीमता से बालिका द्वारा बताये अनुसार पते पर आरपीएफ मित्र को भेजकर पता करवाने पर ग्राम शंकरपुर भदौरा, जिला–सीधी में बालिका के ननिहाल होने की जानकारी मिली जहॉ से उक्त बालिका की मां– सुनीता साकेत को सूचित किया, जिन्होने बताया कि वह कटनी में ही है तथा अपनी पुत्री को खोज रहे है। बाद उपनिरीक्षक द्वारा बालिका के माता–पिता को बालिका के सकशुल होने कीजानकारी दी गई। दिनाक–04.01.16 को उक्त बालिका की मां सुनीता साकेत रेसुब पोस्ट न्यू कटनी जं. पर उपस्थित होकर बतााय कि वह अपनी पुत्री राजवती साकेत के साथ कटनी आये थे। पुत्री की दिमागी हालात ठीक न होने के कारण उनकी पुत्री कटनी में ही बिछड गई। बाद उपनिरीक्षक द्वारा दो समक्ष गवाहों दिनांक 05.01.16 को सुपुर्दनामा के तहत उक्त बालिका को उसकी माता–सुनीता साकेत को सुपुर्द किया गया। रेसुब न्यू कटनी जं. के उपरोक्त बल सदस्यों द्वारा तत्परता एवं बुद्वीमतापूर्ण की गई कार्यवाही निश्चित ही सराहनीय है। जिसके कारण मानसिक रूप से पीडित माता–पिता से बिछुडी हुई बालिका को उसके माता–पिता से मिलाया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले बल सदस्य उपनिरीक्षक श्री बी.के.यादव व आरक्षक एन.पी.गौतम एवं महिला आरक्षक गीता गायकबाड को 1000/– का सामूहिक पुरूस्कार प्रदान किया गया है।
7.	भोपाल मंडल	07.01. 2016	भोपाल मंडल–भोपाल स्टेशन में सघन चैकिंग के दौरान ज्वलनशील पदार्थ फस्फोरस को ले जाते हुये व्यक्ति को गिरफतार किये जाने बाबत्– दिनॉक 07.01.16 को उपनिरी. वीरेन्द्र सिंह (भोपाल रिजर्व) उपनिरी. जी.पी. कैथवास(अखुशा/भोपाल) सउनि आर.के.कौशिक(अखुशा/भोपाल), आर. रामराज सिंह(अखुशा/भोपाल), आरक्षक राधेश्याम यादव (डॉग हेंडलर), आरक्षक मो.शहजाद के द्वारा भोपाल स्टेशन पर सुरक्षा जॉच की जा रही थी समय करीबन समय 12.30 बजे प्लेटफार्म नंबर–6 पर एक संदिग्ध व्यक्ति एक थैले के साथ संदिग्ध अवस्था में दिखायी देने पर उसने अपना नाम–संतोष जैन पुत्र मानकचंद जैन, उम्र 35 वर्ष बताया। उसके थैले को डॉग सुल्तान के द्वारा चैक कराने पर थैले में एक लीटर क्षमता वाले पानी से भरे 03 नग प्लास्टिक के जार में लगभग 600 ग्राम अत्यंत ज्वलंशील पदार्थ

			फास्फोरस के टुकडे थे, जिनकी पुष्टि बी.डी.डी.एस./भोपाल द्वारा की गई। बाद उपनिरीक्षक द्वारा जिन्हे कुल पदार्थ का अनुमानित मूल्य 2,000/–रू. जप्त कर आरोपी उक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु भोपाल पोस्ट को सुपुर्द किया गया। बाद आरोपी उक्त के विरूद्व रेल सुरक्षा बल पोस्ट में अपराध क्र. 123/16 धारा 164 रेल अधिनियम दि. 07.01.16 कायम कर समय 21.00 बजे गिरफतार किया गया।
8.	भोपाल मंडल	11.01.16	.घर से भागे नाबालिग बालक को चाइल्ड हेल्प लाईन संस्था गुना को सुपुर्द करने बाबत्:– स्टेशन में दिनांक 11.01.16 को गुना स्टेशन पर समय 21.30 बजे सउनि राजवीर सिंह को गस्त के दौरान एक लावारिस मिला, पूछताछ करने पर सउनि उसने अपना नाम–विवेक सिंह ठाकुर पुत्र रामवीर सिंह ठाकुर उम्र 09 वर्ष निवासी बडे बाजार मस्जिद के पास सागर म.प्र. का रहने वाला एवं कक्षा 04 में पढना बताया तथा घर से बिना बताये भाग आना बताया। जिसे उपनिरीक्षक जी.एल.मीणा व सउनि राजवीर सिंह ने मय सुपुर्दगीनामा के तहत चाइल्ड हेल्प लाईन संस्था गुना की सदस्य श्रीमती तृप्ति देशमुख एवं श्री करण सिंह कुशवाहा को बालक सही हालत में सुपुर्द किया। सिविल पुलिस सागर एवं आरपीएफ थाना सागर को भी सूचना दी गई।
9.	कोटा मंडल	11.01.16	गाडी सं. 12952 के कोच–ए/2 में भूलवश चढकर कोटा आये बच्चे को चाइल्ड हेल्प लाईन संस्था कोटा को सपुर्द करने बाबत्:– दिनांक 11.01.2016 को वाणिज्य कन्ट्रोल कोटा द्वारा नोट कराया कि गाडी सं. 12952 के कोच कन्डक्टर शेखर मोबा. 9869408158 द्वारा सूचना दी गई है कि कोच नं. ए/2 में एक बच्चा नई दिल्ली से चढ गया है एवं उसके परिजन दिल्ली में रह गये है जो दूसरी गाडी से लेने आ रहे है, उक्त सूचना पर गाड़ी के समय 21.15 बजे कोटा आगमन उपनिरीक्षक श्री आर के यादव मय स्टाफ द्वारा गाड़ी को अटेण्ड किया गया। कोच–ए/2 के कोच कन्डक्टर शेखर (मुख्यालय मुम्बई) के द्वारा उपनिरीक्षक आर.के.यादव को एक बच्चा नाम–फजयुसुफ खान पुत्र युसुफ खॉन उम्र 12 साल को सुपुर्द किया जिसे उपनिरीक्षक द्वारा थाना लेकर आये उक्त बालक को एसएस/कोटा अरविन्दसहाय , जीआरपी कोटा के आरक्षक हरीश के समक्ष चाईल्ड लाईन कोटा के सदस्य श्री शैलेन्द्रसिंह को सुपुर्द किया गया।
10	भोपाल मंडल	17.01.16	<u>भोपाल मण्डलः– लावारिस बालक को चाइल्ड हेल्प लाइन को सुपुर्द करने बावत</u> दिनॉक 17.01.2016 को गाडी नंबर 12409 डाउन गोडवाना एक्स के भोपाल आने पर सउनि ओमप्रकाश के. एवं आरक्षक देवेन्द्र चक्रवर्ती द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर गाड़ी के कोच–ए को अटैण्ड किया गया। ए–1 कोच में कार्यरत ऑन टीटीई श्री आर.के. पटेल मुख्यालय इटारसी ने बताया कि एक लावारिस लडका जिसका नाम–प्रवीण कुमार पुत्र राजेश शर्मा उम्र 15 वर्ष उक्त गाड़ी के कोच–ए–1 में इटारसी से चढ गया था। बाद टीटीई द्वारा

			सउनि को सुपुर्द करने पर सउनि द्वारा उससे पूछताछ की गई परंतु उसके द्वारा घर का संपर्क नंबर नही बता सका। बाद सउनि द्वारा चाइल्ड हेल्प लाइन टी. टी. नगर भोपाल के श्री शैलेन्द्र दुबे के सुपुर्द किया गया।
11	भोपाल मंडल	18.01.16	भोपाल मंडल–(बीना पोस्ट) यात्री गाडी में मिले लावारिश बैग को उसके मालिक को सुपुर्द करने बाबत– दिनांक–18.01.2016 को गाड़ी क्रमांक 11069 तुलसी एक्सप्रेस के बी–2 बर्थ नंबर–07 पर यात्री का बैग छूट जाने जिसमें एक लेपटाप व अन्य सामान होने की सूचना मिलने पर सउनि श्री एस.एस. कुण्डु द्वारा गाड़ी के बीना स्टेशन पहुँचने पर कोच अटेंड कर बैग को उतारकर स्टेशन मास्टर बीना का सूचित किया गया। बाद उक्त बैग के संबंध में एक व्यक्ति नाम–अविनाश मुड़कर उम्र–48 साल निवासी–ए 44 चोपड़ा जिला–विदिशा(म.प्र.) रेल सुरक्षा बल पोस्ट बीना पर उपस्थित हुआ जिससे सउनि द्वारा बैग में रखे सामान के संबंध में पूछताछ कर दो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष खोलकर देखा गया तो व्यक्ति के बताये अनुसार लेपटाप, पेनकार्ड, एटीएम कार्ड था तथा बैग के अंदर नगद 10000/– रूपये नगद मिले। बाद सउनि द्वारा उक्त बैग को समक्ष गवाहान सुपुर्दगी नामे के तहत बैग मालिक श्री अविनाश को सुपुर्द किया गया। बैग मालिक द्वारा रेसुब की भूमिका की प्रशंसा की गई।
12	कोटा	19.01.16	कोटा मण्डल (भरतपुर पोस्ट):– गाडी संख्या 12987 से घर से भागकर जा रहे बालक को रेल सुरक्षा बल द्वारा जीआरपी भरतपुर के सुपुर्द करने हेतु बावत्:– दिनांक 19.01.2016 को गाडी सं. 12987 के एस/12 बर्थ नं. 70 के यात्री अमित जैसवाल द्वारा आरपीएफ को सूचना दी गयी कि "गाड़ी में एक बालक बैठा है,जो घर से भागा हुआ है एवं भरतपुर के पास का रहना वाला है" सूचना पर सउनि यतेन्द्र सिंह, आरक्षक रमेश गुर्जर के साथ गाड़ी को भरतपुर में 1.30 बजे आगमन पर उक्त कोच को अटैण्ड कर बच्चे को उक्त यात्री के पास से उतारकर रेसुब पोस्ट भरतपुर लाकर पूछताछ किया बालक ने अपना नाम–बलराम पुत्र रामनारायण उम्र–10 साल बताया तथा बताया कि उसके पिता ट्रक चलाते है एवं बच्चों को होटल पर काम करने के लिये भेजते है इस कारण वह घर से भाग गया था। बाद सउनि द्वारा स्टेशन प्रबंधक भरतपुर एवं एसएचओ जीआरपी भरतपुर को अवगत कराकर चाईल्ड हैल्प लाईन 1098 को सूचित किया। सुपुर्दगीनामा के तहत बच्चे को चाईल्ड हैल्प लाईन के सुपुर्द किया गया।
13	जबलपुर	19.01.16	आरपीएफ स्टॉफ द्वारा मदिरा का सेवन करते हुये व्यक्तियो को पकड़ने हेतु बावत्–गाड़ी संख्या 12187/12188 जबलपुर–मुम्बई गरीबरथ एक्सप्रेस में मदिरा का परिवहन एवं सेवन किये जाने की शिकायतों के मद्देनजर मु.सु.आ. /रेसुब/पमरे द्वारा जब जबलपुर पोस्ट एवं सीएससी रिजर्व कंपनी/जबलपुर से स्टाफ की तैनाती कर गाड़ी को चैक कराया गया। चैकिंग के दौरान दिनांक 15.01.2016 को कार्यरत सउनि/जबलपुर पोस्ट श्री एस.के.मिश्रा एवं सीएससी रिजर्व कंपनी/जबलपुर के प्र.आ. विजय बहादुर सिंह, आरक्षक–देवककन मिश्रा, नरेश सिंह, सुधीर सिंह एवं संजय यादव ने गाड़ी

			संख्या 12187 के जी–1 ,पीएनआर नं.8343219900, JBP-CSTM कोच से 03 यात्रियों 1. अमरेश तिवारी पुत्र श्री विजय कुमार तिवारी उम्र 23 वर्ष, 2. शान्तनु परिहार पुत्र संतोष परिहार उम्र 23 वर्ष एवं 3. अजय सोनी पुत्र आर. पी.सोनी उम्र 24 वर्ष को मदिरा का सेवन करते हुए पाये जाने पकड़कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आरपीएफ आउट पोस्ट/नरसिंहपुर को सौंपा गया जहां पर उनके विरूद्ध मामला अ.क्र. 675/16, 676/16, 677/16 धारा 145 के तहत मामला पंजीकृत किया गया।
14	जबलपुर	19.01.16	दिनांक 18.01.2016 को कार्यरत सउनि/जबलपुर पोस्ट श्री एस.के.मिश्रा एवं सीएससी रिजर्व कंपनी/जबलपुर के प्र.आ. लारेंस कमल, आरक्षक–कार्तिक सिंह, ब्रजराज सिंह, बीरबल कुमार तिवारी एवं सुन्दर लाल रनगिरे ने उक्त गाड़ी के कोच नं.जी–7,पीएनआर न.8643148169, JBP-KYN में एक यात्री रतन कुमार पुत्र श्री रमेश लाल उम्र 42 वर्ष, निवासी– कैरिज लाइन माधवनगर कटनी को मदिरा का सेवन करते हुए पाये जाने पर पकड़कर अग्रिम कार्यवाही आरपीएफ चौकी/पिपरिया को सौंपा गया जहां पर उसके विरूद्ध मामला अपराध क्रमांक 37/16 धारा 145 रेल अधिनियम के तहत मामला कायम किया गया। उक्त दोनों मामलों में आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया एवं क्रमशः दिनांक 27.01.16 एवं 25.01.16 को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
15	भोपाल	20.01.16	भोपाल मण्डल (इटारसी पोस्ट):– सीसीटीवी की मदद से पर्स चोरी करने वाले व्यक्ति को गिरफतार करने बाबत्– दिनॉक 18.01.16 को इटारसी स्टेशन बुकिंग विण्डो पर टिकिट लेने आये व्यक्ति–रामलाल पुत्र योगराज उम्र 27 वर्ष नि. जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश ने जीआरपी इटारसी में उपस्थित होकर लिखित आवेदन देकर बताया कि टिकट लेने के द्वोरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी जेब से पर्स चोरी कर लिया है। फरियादी की शिकायत पर रेसुब के सउनि कमल सिंह यादव व आर. सुरेंन्द्र बिले द्वारा सीसीटीवी फुटेज का गहनता से अवलोकन कर एक सदिग्ध व्यक्ति जो लगभग समय 14.00 बजे सीसीटीवी में दिखाई दिया, जिसे रेसुब.के सउनि. कमल सिंह यादव व आर. सुरेंन्द्र बिले द्वारा जीआरपी की मदद से उक्त आरोपी पकडा जिसका नाम राजकुमार साहु पुत्र अक्कू साहु उम्र 26 वर्ष निवासी बताया जिसके विरूध जीआरपी इटारसी द्वारा अपराध क्र0 035/16 धारा 380 आईपीसी दिनॉक 19. 01.16 मामला दर्ज कर जॉच में लिया गया।
16	भोपाल	25.01.16	भोपाल मंडल (बीना पोस्ट) :– चलती गाड़ी से गिरे हुये मोबाईल को मालिक को सुपुर्द करने बाबतः–दिनांक 24.01.16 को ट्रेन न. 12861 से यात्रा कर रहे यात्री अतुल कुमार पुत्र श्री बी.डी दुबे उम्र 40 वर्ष पी एन आर न. 6651026962 कोच ए–1 बर्थ न. 17 जो विदिशा से झॉसी यात्रा कर रहे थे, यात्रा के दौरान उनका एक सेमसंग कम्पनी का मोबाइल गाडी के बीना स्टेशन से रवाना होते ही नीचे गिर गया, उक्त मोबाइल डियुटी पर तैनात महिला आरक्षक नीतू रावत द्वारा पोस्ट बीना में लाकर पार्टी इंचार्ज सउनि आर .के. चौबे को सुपुर्द किया। सउनि आर.के.चौबे द्वारा यात्री अतुल से संपर्क

			कर अवगत कराया कि उनका मोबाइल आर पी एफ पोस्ट बीना मे रखा में सुरक्षित रखा है, बाद दिनांक 25.01.16 को उक्त यात्री द्वारा डीसीआई सुनील कुमार पान्डेय को मोबाईल लेने हेतु रेसुब पोस्ट बीना में भेजा गया। सउनि द्वारा यात्री से संपर्क कर उक्त मोबाईल को सुपुर्दगी नामा के तहत डीसीआई श्री सुनील पाण्डेय को सुपुर्द किया गया।
17	भोपाल	25.01.16	2.भोपाल मंडल (भोपाल पोस्ट) :– बेची गयी महिला को रेसुब द्वारा त्वरित सहायता प्रदान करने बावत्। दिनॉक को 25.01.2016 को एक महिला सपना शर्मा पुत्री ब्रजनारायण उम्र 25 वर्ष निवासी प्रताप कालोनी डायवर्सन रोड मुरेना मदद मागंने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन भोपाल पर आई और सउनि श्री आर.के.बौरासी को बताया कि उसकी शादी विपिन भारद्वाज पुत्र बलराम भारद्वाज उम्र 27 वर्ष से हुई है, उसके ससुर द्वारा उसको बेच दिया गया था, मुझे मुंबई से भोपाल (अवधपुरी)लाया गया जहॉ फ्लेट पर चार–पॉच अन्य लड़कियों के साथ रखा गया, मौका मिलने पर वहॉ से भागकर स्टेशन पर पहुॅची।बाद सउनि आर.के. बौरासी व महिला आरक्षक ज्योति यादव व जी.आर.पी. द्वारा उसे अवधपुरी थाने के सुपुर्द किया गया।
18	भोपाल	26.01.16	भोपाल मंडल (भोपाल पोस्ट) :– रेसुब.द्वारा लावारिस बच्चे को उनके परिवार जनो को सोपने बावत् :– दिनांक 26.1.16 को भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म न. 4–5 पर आरक्षक बृजेन्द्र परमार को एक बच्चा मिला जिसकी उम्र करीबन 14 वर्ष है। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सोनू ,पुत्र रामानुज निवासी रामनगर चौराहा के पास देवास बताया जिसे पोस्ट भोपाल लाकर डियूटी अधिकारी सउनि एस.के. शर्मा ने बच्चे के द्वारा बताये गये मोबाइल न. 7898170843 पर बच्चे की माताजी श्रीमति कविता से संपर्क हुआ एवं उन्हे पोस्ट पर बुलाया गया एवं बच्चे को सुपुर्द किया गयझं
19	भोपाल	27.01.16	भोपाल मंडल (भोपाल पोस्ट):– रेसुब.द्वारा लावारिस बच्चे को उनके परिवार जनो को सोपने बावत्:– दिनांक 27.01.2016 को भोपाल स्टेशन पर प्लेटफार्म न. 01 पर समय 12:30 बजे रेसुब.स्टॉफ आरक्षक सागर सिह मीणा को एक बच्चा मिला जो लावारिस हालत में रोते हुए स्टेशन पर घूम रहा था। जिसकी उम्र करीबन 04 वर्ष है। रेसुब.स्टॉफ आरक्षक सागर सिह मीना द्वारा बालक को रेसुब पोस्ट पर लाया। सउनि एस.के.शर्मा द्वारा बालक से पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम–राहुल पुत्र कमल सिह निवासी गांधी चौक के पास गंजबासौदा जिला विदिशा बताया। बच्चे के द्वारा बताये गये मोबाइल न. 8435605183 पर बच्चे के पिता से संपर्क कर बाद सउनि एस.के.शर्मा एवं आरक्षक सागर सिंह मीणा द्वारा बालक के पिता के थाना हाजिर होने पर बालक को सुपुर्दगीनाम के तहत साथ सुपुर्द किया।

20	भोपाल	30.01.16	(भोपाल मण्डल/भोपाल रिजर्व रेसुब के द्वारा टिकिट दलाल को पकड़ने बावत्।) :- दिनांक 30.01.16. भोपाल मण्डल/भोपाल रिजर्व रेसुब के उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र सिंह हमराह स्टाफ सहायक उप निरीक्षक श्री आर.के. कौशिक, आरक्षक डेविडदीन, आरक्षक अमित कुमार के साथ जीपीओ हमीदिया रोड आरक्षण केंद्र से एक व्यक्ति को संदेह होने पर उसे पकड़ा गया। जिसकी तला ी लेने पर उसके पास से 26 रेल टिकटों बरामद हुई। टिकटों का कुल मूल्य 27838/-रुपये व 10000/-रुपये नगद जप्त किया गया। जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। बाद रेसुब स्टॉफ द्वारा कार्यवाही वास्ते भोपाल पोस्ट कों सुपुर्द किया गया, बाद उपनिरीक्षक अजीत सिंह भोपाल पोस्ट द्वारा उक्त आरोपी से पूँछ-ताँछ करने पर उसने अपराध स्वीकार किया। मामला रेल अधिनियम धारा 143 का पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र अपराध क्र 523/2016 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर जांच में लिया गया है।